जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 12.09.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5263 द्वारा सड़क मार्ग पर ई रिक्सा और बाईक में टक्कर हो जाने पर घायल 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3304 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत थुरंडा से इवेन्ट संख्या 34201 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में ई रिक्षा और बाईक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में 01 व्यक्ति (1- विश्वनाथ चैहान पुत्र ठाकूर प्रसाद, ग्राम पिपरा हसनपुर थाना दुधारा, संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंश 108 की सहायता से जिलाअस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 सुरज भारती, हो0गा0 विरेन्द्र कुमार।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 57 वाहनों से 54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 57 वाहनों से 54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 12.09.2024

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 296/2024 धारा 64/127(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(2)(5) व 3(1)ध एससी / एसटी एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मुकेश यादव पुत्र रंगीलाल निवासी भैंसहीजोत कला थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 12.09.2024 को कठिनईया नदी राजघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 26.07.2024 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृष्ण मिश्र, श्री उ0नि0 अभिमन्यु सिंह, हे0का0 जुबेर अली, हे0का0 रमेश मिश्रा, कां0 सत्यम सिंह, म0का0 शिवानी सिंह।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.09.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप स्त्री की लज्जाभंग करने के मामलें में 01 अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनाँक 12.09.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1170/016 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1),w(i) SC/ST एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता विनोद कुमार यादव पुत्र लालजी यादव निवासी देवकली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 051/17 के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध से दोषसिद्ध किया गया परन्तु अभि0 को उपरोक्त सत्र परीक्षण के मामले में आरोप के अन्तर्गत धारा 3(1),w(i),SC/ST एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया गया अभि0 जमानत पर है। अभि0 के जमानतनामें व अभि0 के बन्धपत्र निरस्त किये गये। अभि0 को न्यायिक हिरासत में लिया गया। अभि0 को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा। अभि0 विनोद कुमार यादव को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 31 सीआरपीसी द्वारा दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को उसकी सजा कि अवधि से समायोजित किया जायेगा। सजायावी वारण्ट बनाकर अभि0 को सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा गया।

प्रेस नोट दिनॉक 12.09.2024 जनपद संतकबीरनगर

- ***अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता***
- ***उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनुभाग -5 संख्या 814/02/2024- सी0एक्स0-5(पिट0एन0डी0पी0एस0) लखनऊः- दिनांक 12 सितम्बर ,2024 द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत "द प्रिवेंशन आफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988" के अवैध व्यापार की रोकथाम की धारा-9(एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 11 के तहत राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा को दिनांक 19.06.2024 से 01 वर्ष की अवधि तक जिला कारागार में निरुद्ध रखने का आदेश दिया गया***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में नशीले पदार्थ के सेवन व विक्री जैसी घटनाओं के रोकथाम के क्रम में **उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनुभाग -5 संख्या 814/02/2024- सी0एक्स0-5(पिट0एन0डी0पी0एस0) लखनऊः- दिनांक 12 सितम्बर ,2024 द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत "द प्रिवेंशन आफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988" के अवैध व्यापार की रोकथाम की धारा-9(एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 11 के तहत राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा को दिनांक 19.06.2024 से 01 वर्ष की अवधि तक जिला कारागार में निरुद्ध रखने का आदेश दिया गया** ।

दिनॉक 26.06.2024 को **उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनुभाग -5 संख्या 02/2024- सी0एक्स0-5(पिट0एन0डी0पी0एस0) लखनऊः- दिनांक 19 जून ,2024 द्वारा जारी किये गये आदेश के क्रम में धारा 3(1) दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रक्स एण्ट साइको ट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट -1988 के तहत शातिर अभियुक्त** राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वम्भर नाथ मिश्रा निवासी ग्राम रक्सा थाना मेहदावल जनपद सन्त कबीर नगर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके विरुद्ध निरुद्धी राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा द्वारा प्रत्यावेदन उ0प्र0 सलाहकार परिषद (निरुद्धिया), मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ परिसर, लखनऊ को दिनांक 05.07.2024 को प्रेषित किया गया था जिसे उ0प्र0 सलाहकार परिषद (निरुद्धिया) की राय पर पूरी तरह से विचार करने के बाद दिनांक 25.07.2024 को अस्वीकार किया जा चुका है।

पूर्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 25.11.2023 को नशीला पाउडर (स्मैक) 250 ग्राम, 181 पुड़िया में 29.09 ग्राम स्मैक, गांजा 680 ग्राम, अफीम 29.50 ग्राम बरामदगी व विभिन्न कम्पनियों के 08 मोबाइल फोन, चार पहिया वाहन XUV 300 व 5,52,564/-रुपया नकद तथा नेपाल व

ओमान की करेंसी की बरामदगी करते हुए अभियुक्तगण 01. राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वम्भरनाथ मिश्रा निवासी रक्शा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर, हा0मु0 मोहल्ला भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. बबलू उर्फ ओमकार विश्वकर्मा पुत्र रामशंकर निवासी मोहल्ला भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03- रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वम्भरनाथ मिश्रा निवासी रक्शा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को बरदहिया सब्जी मण्डी मोहल्ले से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1134/2023 धारा 8/18/20/21 NDPS ACT पंजीकृत कर किया गया था।

दिनांक 27.05.2024 को जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भिटवा टोला निवासी अभियुक्त 1. राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा निवासी रक्शा थाना मेंहदावल, हा0मु0 मोहल्ला भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर व 2. रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर तथा अभियुक्त उपरोक्त के रिश्तेदार शिवकेश शुक्ला पुत्र विनायक शुक्ला निवासी पुरनहा पोस्ट ठकुईराई तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर व शिवम त्रिपाठी पुत्र प्रेमनाथ त्रिपाठी निवासी पोहिला पोस्ट महुआपार तहसील गोला जनपद गोरखपुर के नाम से अर्जित 2,68,73,210/-रु0 कुल अवैध चल अचल सम्पत्ति की माइक से घोषणा करते हुए डुग्गी व ढोल पिटवाकर साइन बोर्ड लगाकर कुर्क किया गया था। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 269/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त व उनकी पत्नी द्वारा अवैध रुप अपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हुए अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम से अर्जित की गई लगभग 2,68,73,210/- रुपये की सम्पत्ति को दिनांक 27.05.2024 को जब्त किया गया था।